

पत्रांक-15/जी1-09/11.....

पटना, दिनांक

'2012

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
बिहार, पटना।

प्रदीप चटर्जी
11/06/12

अवर सचिव
निकासी एवं अनुदान पदाधिकारी
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* (द्वारा वित्त विभाग)।

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को वेतनादि, वेतनान्तर, बकाया वेतनादि एवं बकाया पेंशन राहत के भुगतान हेतु तत्काल `16,10,39,438/- (सोलह करोड़ दस लाख उन्नचालीस हजार चार सौ अड़तीस रु०) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के लिए सहायक अनुदान वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल `494,59,67,000/- (चार सौ चौरानबे करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार रुपये मात्र) रूपये का उपबंध क्रमशः बजट शीर्ष- "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102- विश्वविद्यालयों को सहायता- माँग संख्या- 21-0002- मगध विश्वविद्यालय विपत्र कोड- N2202031020002-विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान-वेतन" के अन्तर्गत `3,76,15,68,000/- (तीन सौ छिहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र) एवं विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत `1,18,43,99,000/- (एक सौ अठारह करोड़ तेतालीस लाख निन्यानवे हजार रूपये मात्र) के अन्तर्गत उपबंधित है।

2. वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्योदश संख्या- 111 दिनांक 28.03.2012 के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुल 54,82,84,350/- (चौवन करोड़ बेरासी लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रु०) स्वीकृत राशि की निकासी करने हेतु विपत्र कोषागार को भेजा गया था। कोषागार द्वारा कतिपय कारणों से मगध विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि `16,10,39,438/- (सोलह करोड़ दस लाख उन्नचालीस हजार चार सौ अड़तीस रु०) मात्र की निकासी नहीं किये जाने के फलस्वरूप उक्त राशि को पी0 एल0 खाता में जमा नहीं किया जा सका। वर्णित तथ्यों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत राशि `16,10,39,438/- (सोलह करोड़ दस लाख उन्नचालीस हजार चार सौ अड़तीस रु०) को मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विधिमान्य अनुमान्य वेतनादि, वेतनान्तर, बकाया वेतनादि एवं बकाया पेंशन राहत के निमित्त गैर योजनान्तर्गत निम्न रूप से स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	मद	विश्वविद्यालय ईकाई/महाविद्यालय	कुल राशि
1	2	3	4
1	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वेतनान्तर के मद में स्वीकृत राशि	बी०डी० कॉलेज, पटना	3140580
1		एस०जी०जी०एस० कॉलेज, पटना	1472640
2		आर०के०डी० कॉलेज, पटना	1422720
3		जी०डी०एम० कॉलेज, पटना	1866408
4		के०एस०एम० कॉलेज, औरंगाबाद	1235016
5		आर०एल०एस०वाई० कॉलेज, औरंगाबाद	532752
6		एस०बी०ए०एन० कॉलेज, दरहटालारी	1654344
7		टी०एस० कॉलेज, हिसुआ	1438560
8	वित्तीय वर्ष 2010-11 के बकाया वेतनादि मद के लिए स्वीकृत राशि	नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ	1876564
9		योग (1 से 9):-	14639584
10	वित्तीय वर्ष 2011-12 के बकाया वेतनादि लिए स्वीकृत राशि	अल्लमा इकबाल कॉलेज, बिहार शरीफ	14598720
11		सोगरा कॉलेज, बिहार शरीफ	30033524
		योग (10 से 11):-	44632244
12	जुलाई '11 के प्रभाव से बकाया महंगाई भत्ता के मद में स्वीकृत राशि		62310736
13	जुलाई '11 के प्रभाव से बकाया पेंशन राहत के मद में स्वीकृत राशि		13966232
14	अन्य बकाया वेतनादि के मद में स्वीकृत राशि		25490642
		योग (12 से 14):-	101767610
		कुल योग:-	161039438

कुल ₹16,10,39,438/- (सोलह करोड़ दस लाख उन्नचालीस हजार चार सौ अड़तीस रु०) मात्र

3- उक्त स्वीकृत राशि में वेतनादि/ वेतनान्तर का भुगतान विपत्र कोड- N 2202-03-102-0002 मगध विश्वविद्यालय के विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान- वेतन से `14,70,73,206/- (चौदह करोड़ सत्तर लाख तिहत्तर हजार दो सौ छः रुपये मात्र) तथा बकाया पेंशन राहत का भुगतान विपत्र कोड- N 2202-03-102-0002 मगध विश्वविद्यालय के विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा से `1,39,66,232/- (एक करोड़ उन्नचालीस लाख छियासठ हजार दो सौ बत्तीस रुपये मात्र) कुल `16,10,39,438/- (सोलह करोड़ दस लाख उन्नचालीस हजार चार सौ अड़तीस रुपये मात्र) का भुगतान निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है :-

(i) बकाया वेतनादि/पेंशनादि का भुगतान वैसे ही शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को किया जायगा जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर भुगतान अनुमान्य है।

(ii) दिनांक 1.1.96 के बाद तथा दिनांक 19.04.2007 के पूर्व शिक्षकों की प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 58(10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधित परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त शिक्षकों को प्रोन्नत पद का भुगतान अनुमान्य किया जायगा।

